

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 010/2022 (रसद) (GCMS 2022/188)	दायर दिनांक 24.06.2022	निर्णय दिनांक 07.09.2022
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी**बनाम**

1. चैनाराम पिता गोदूलाल निवासी आवरीमाता तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 7339706045)
2. शाकिर हुसैन पिता निजामुदीन निवासी ओकाव मौहल्ला मोबाईल 9928591544

विपक्षीगण

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी
अनुपस्थित

पैरोकार सरकार
विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए सपटित MS & HSD ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए सपटित MS & HSD ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 02.05.2022 को पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण/परिवहन व्यापार संबंधित कार्यवाही की गई। इस बात पर आवेदक प्रवर्तन अधिकारी मौके पर पहुंच कर थाना कोतवाली इन्चार्ज से सम्पर्क किया गया। सम्पर्क करने पर थाना कोतवाली द्वारा एक तहरीर दी गई। तहरीर के अनुसार रात्रि 1 बजे को अरिहन्त कोटे के पास देवकरण के गोदाम से एक पिकअप RJ 06 GA 8628 मय पेट्रोलियम पदार्थ के चालक शाकिर हुसैन व साथी चैनाराम को डिटैन कर लाया गया। मौके पर उक्त दोनों के साथ पिकअप RJ 06 GA 8628 का निरीक्षण किया गया। पिकअप के पीछे लोहे का टैंक फिट किया हुआ है। उक्त लोहे के टैंक से एक डिस्पेन्सिंग यूनिट एक नोजल के साथ जुड़ी हुई है। मौके पर ही लोहे के



टैंक में पेट्रोलियम पदार्थ का मापन करने पर इसमें 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। गाडी में दो विद्युत मोटर तथा एक मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट लोहे के टैंक में 1000 लीटर, दो मोटर व एक मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट होना पाया गया। मौके पर ही चैनाराम पिता गोदूलाल निवासी आवरीमाता एवं शाकिर हुसैन पिता निजामुद्दीन निवासी ओकाव मौहल्ला के बयान दर्ज किये गये। इनके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण, परिवहन, व्यापार संबंधित दस्तावेज नहीं पाये गये। मौके पर ही पिकअप मय 1000 लीटर पेट्रोलिम पदार्थ दो मोटर एक डिस्पेन्सिंग यूनिट अभिग्रहित कर पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा की सुपुर्दगी में की गई। मौके पर ही अभिग्रहित पेट्रोलियम पदार्थ के नमून लिये गये तथा नमूना A-1 वास्ते FSL जांच हेतु पुलिस कोतवाली की सुपुर्दगी में की गई। चैनाराम पिता गोदूलाल व शाकिर हुसैन पिता निजामुद्दीन का यह कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ आदेश 2005 के विरुद्ध है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित पिकअप मय 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, दो मोटर, एक डिस्पेन्सिंग यूनिट को राजसात कराने की कृपा करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 07.09.2022 को विपक्षीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जल्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री को राजसात कराने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईशतदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। विपक्षीगण द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया एवं विपक्षीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने विपक्षीगण के विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाये जाने से पत्रावली पर आवेदन का



किसी भी प्रकार से खण्डन उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से अभिग्रहित 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, दो मोटर, एक डिस्पेन्सिंग यूनिट को राजसात किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 06 GA 8628 न्यायालय के दीगर प्रकरण संख्या 109/2022 (रे.वि.) निर्णय दिनांक 07.09.2022 अनवानी विकास बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में न्यायालय आदेश से वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को रूपये 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 231/2022 दिनांक 02.05.2022 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 231/2022 दिनांक 02.05.2022 में अभिग्रहित 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, दो मोटर, एक डिस्पेन्सिंग यूनिट को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त अभिग्रहित 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, दो मोटर, एक डिस्पेन्सिंग यूनिट थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 07.09.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़